कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक- 11.06.2026

मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध खागा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 किलो अवैध गांजा सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

गिरफ्तारी का विवरणः- पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों, टॉप-10 अपराधियों, माफियाओं, वांछित तथा पुरस्कार घोषित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी खागा के पर्यवेक्षण में थाना खागा पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान दिनांक 10.06.2026 को समय लगभग 13:15 बजे महिचा मंदिर रामपुर मोड़ से लगभग 50 मीटर आगे थाना खागा क्षेत्र में तीन संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अभियुक्तगण 1. संदीप कुमार जैसवाल पुत्र जंगबहादुर निवासी कोल बदइया थाना कर्वी जनपद चित्रकूट, 2. सुरेश निषाद पुत्र चुनुवाद निषाद निवासी रमपुरवा (केवटरा) थाना बबेरू जनपद बांदा एवं 3. पिंटू यादव पुत्र दीनदयाल यादव निवासी भदौसा थाना बदौसा जनपद बांदा के कब्जे से कुल 12 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इसके अतिरिक्त जामा तलाशी में 03 मोबाइल फोन, ₹920 नकद, 02 यात्रा टिकट तथा 01 स्क्रू ड्राइवर भी बरामद किया गया। पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर थाना खागा पर मु0अ0सं0 194/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया, जिसमें उपरोक्त तीनों गिरफ्तार अभियुक्तों के साथ शुभम शिवहरे पुत्र अज्ञात निवासी थाना बबेरू जनपद बांदा को भी नामजद किया गया है। नामजद अभियुक्त शुभम शिवहरे की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर आज दिनांक 11.06.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया कि शिवम शिवहरे द्वारा उन्हें उड़ीसा भेजा जाता था, जहां से वे कम मात्रा में गांजा खरीदकर ट्रेन के माध्यम से उत्तर प्रदेश लाते थे।पकड़े जाने से बचने हेतु अभियुक्त ट्रेन के शौचालय में लगे ऊपरी गोलाकार छत/कवर को स्क्रू ड्राइवर (पेचकस) से खोलकर उसके अंदर गांजा छिपा देते थे तथा गंतव्य स्टेशन आने से पूर्व पुनः उसे निकालकर स्क्रू कस देते थे, जिससे किसी को संदेह न हो। अभियुक्तों द्वारा यात्रा हेतु निजी वाहन का प्रयोग न कर ट्रेन एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों का उपयोग किया जाता था। अभियुक्तों द्वारा बताया कि जनपद पहुंचने के उपरांत वे उक्त गांजा शिवम शिवहरे को सौंप देते थे, जो उसकी फुटकर बिक्री करता था। इसके एवज में अभियुक्तों को प्रति किलोग्राम गांजा लाने पर ₹1000 पारिश्रमिक दिया जाता था तथा आने-जाने एवं खाने-

पीने का समस्त खर्च भी शिवम शिवहरे द्वारा वहन किया जाता था। पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि अवैध गांजा तस्करी के इस नेटवर्क का संचालन एवं नियंत्रण मुख्य रूप से शिवम शिवहरे द्वारा किया जा रहा था तथा अन्य अभियुक्त उसके निर्देश पर गांजा लाने एवं पहुंचाने का कार्य करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. संदीप कुमार जैसवाल पुत्र जंगबहादुर निवासी कोल बदइया थाना कर्वी जनपद चित्रकूट उम्र 22 वर्ष
2. सुरेश निषाद पुत्र चुनुवाद निषाद निवासी रमपुरवा (केवटरा) थाना बबेरू जनपद बांदा उम्र 38 वर्ष
3. पिंटू यादव पुत्र श्री दीनदयाल यादव निवासी भदौसा थाना भदौसा जनपद बांदा उम्र 20 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त संदीप कुमार जैसवाल का अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 194/26 धारा 8/20 NDPS ACT थाना खागा जनपद फतेहपुर (वर्तमान प्रकरण)

अभियुक्त सुरेश निषाद का अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 166/17 धारा 380 भादवि थाना बबरेरु जनपद बांदा
2.मु0अ0स0 61/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बबरेरु जनपद बांदा
3.मु0अ0स0 12/18 धारा 436/504/506 भादवि थाना बबरेरु जनपद बांदा
4.मु0अ0सं0 194/26 धारा 8/20 NDPS ACT थाना खागा जनपद फतेहपुर (वर्तमान प्रकरण)

अभियुक्त पिंटू यादव का अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 159/24 धारा 3(2)(va) Sc/st व 110/115(2) /119(2)/333/351(3)/352 बीएनएस थाना बदोसा जनपद बांदा
2.मु0अ0स0 6/25 धारा 115(2) /351(3)/352 बीएनएस व 3(1)ध /3(1) द 3(2)(va) Sc/st थाना बदोसा जनपद बांदा
3.मु0अ0सं0 194/26 धारा 8/20 NDPS ACT थाना खागा जनपद फतेहपुर (वर्तमान प्रकरण)

बरामदगी का विवरण-

1. 12 किलो अवैध गाँजा
2. 3 मोबाइल
3. 920 रूपये
4. 2 यात्रा टिकट
5. 1 अदद स्क्रू ड्राइवर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 राहुल कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी महिचा मन्दिर थाना खागा फतेहपुर
2.उ0नि0 किशन कुमार 3. उ0नि0 जयप्रकाश सिंह
4. का0 प्रवीण चौधरी 5.का0 देवेन्द्र सिंह 6.का0 अंशुल कुमार